समाहरणालय अररिया
(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण--सूचना

वित्तीय वर्ष 2014 15 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय स0वि0स0 द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्राधीन मध्य/उच्च/ इंटर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकों का क्रय कर आपूर्ति करने हेतु अनुशंसा की गयी है, तदालोक में पुस्तक क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित प्रकाशकों/वितरकों /विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। वित्तीय /तकनीकी अलग--अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 25/3/15 को 02 बजे अपराह्न/~~पूर्वाह्न~~ तक जिला योजना कार्यालय, अररिया में रजिस्टर्ड डाक/ कारियर/या स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दाखिल कर सकते है। उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे अपराह्न 04 बजे खोली जायेगी जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक से अनुमोदित पुस्तकों की सूची कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर छायाप्रति प्राप्त कर सकते है। अथवा अररिया जिला के वेवसाइट araria.bih.nic.in पर भी देख सकते है।

निविदा की शर्ते :-

1. क्रय की जानेवाली पुस्तकों के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन /संशोधन मान्य नहीं होगा।
2. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तके 60 पृष्ट से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
3. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. प्रत्येक पुस्तक अधिमानत आई0एस0बी0एन0 संख्या के साथ ही स्वीकार की जाएगी।
5. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकें रेल पार्सल से स्वीकार नही की जाएगी।
6. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों का निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाएगी।

क्रमांक	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम एवं पुरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	पृष्ठ संख्या	सजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुद्रित

7. तीन वर्षों का आयकर, बिक्रीकर का अद्यतन प्रमाण--पत्र रिर्टन एवं पैन नंबर की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
8. निविदा के साथ 25,000.00 (पचीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट (जमानत की राशि) अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी जो जिला योजना पदाधिकारी, अररिया के पदनाम

से होगा।

9. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ पत्र देना होगा।

10. आपूर्तिकर्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपूर्ति का प्राधिकार पत्र जमा करना पडेगा।

11. विगत वर्षो से सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में पुस्तक आपूर्ति करने वाले निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायगी।

12. गुणवत्ता के लिए आई0एस0ओ0 का प्रमाण–पत्र प्राप्त निविदादाता को प्राथमिकता दी जायगी।

13. निविदादाताओं को पिछले तीन वर्षों मे औसतन टर्नओभर 50 (पचास लाख) या अधिक होना आवश्यक होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :–

01. वित्तीय निविदा के लिफाफे मे निविदादाता आपूर्ति की जानेवाली सभी पुस्तकों कर छूट्टी की दर प्रतिशत मे अंकित करेंगे।

(ग) सामान्य शर्तें :–

01. जिनकी निविदा के लिफाफे स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर पुस्तक आपूर्ति संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचाकर करनी होगी। आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।

02. प्रत्येक पुस्तक पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुहर लगाना अनिवार्य होगा।

03. तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

04. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

05. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र अररिया होगा।

06. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार श्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी,
अररिया।